

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

सं० संख्या-9/निधि-गै०यो०-(म० एवं उप०)०१-०१/२०१६-आ०ओ०ए० 151/8/पटना, दिनांक - 31.1.17  
सेवा में,

मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता,  
पथ निर्माण विभाग,  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)।

विषय :- व्यय मुख्य शीर्ष-3054 सडक तथा सेतु उप मुख्य शीर्ष-03 राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष-052 मशीनरी तथा उपस्कर, माँग सं०-41, उपशीर्ष - 0001 मशीनें और उपकरण, विषय शीर्ष-52 01 मशीने एवं उपस्कर मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निधि का आवंटन।

आदेश:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में संलग्न विवरणी के स्तम्भ-2 में अंकित प्रमंडल/ कार्यालय को उनसे प्राप्त स्तम्भ-6 में अंकित माँग-पत्र के आलोक में स्तम्भ-4 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹5,25,300/- (पाँच लाख पचीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

- यह व्यय मुख्य शीर्ष - 3054 सडक तथा सेतु उप मुख्य शीर्ष- 03 राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष - 052 मशीनरी तथा उपस्कर, माँग सं०-41, उपशीर्ष - 0001 मशीनें और उपकरण, विषय शीर्ष- 52 01 मशीने एवं उपस्कर मतदेय शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय है। इस राशि से संबंधित विपत्र कोड संख्या- N3054030520001 है।
- आवंटित राशि का वहन 2016-17 में पथ निर्माण विभाग के लिए इस मद में बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- यह आवंटन आदेश वित्त विभागीय परिपत्र सं०- 2561/ वि.(2) दि०-17.04.1998, पत्रांक-423 / वि०, दिनांक-31.03.2016 एवं पत्रांक-4572 दिनांक-03.06.2016 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- कुल आवंटित राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह में निश्चित रूप से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराते हुए मद्दार/ कार्यवार मिलान कराया जाय तथा मिलान की एक प्रति विभाग में निश्चित रूप से समर्पित किया जाय।
- यह व्यय प्रशासनिक/ प्रावैधिक स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए तथा इस राशि से क्रय आदि समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में ही सुनिश्चित किया जाए।
- खर्च को आवंटित राशि तक सीमित रखा जाय तथा किसी भी परिस्थिति में आवंटन से अधिक खर्च नहीं किया जाय तथा किसी तरह के अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। बकाये राशि की शुद्धता एवं देयता की जाँच निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपने स्तर से कर लेंगे एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान करेंगे। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए वे स्वयं जिम्मेदार समझे जायेंगे।
- विगत वित्तीय वर्षों की स्वीकृत एवं एकरारनामित योजनाओं, जिनके विरुद्ध कार्य का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाना है, के सम्बंध में आवश्यक स्पील ओभर की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में नहीं हो सके तो बचत की राशि का प्रत्यार्पण दिनांक-28.02.2017 तक अवश्य कर दिया जाय।
- प्रस्ताव पर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु० - यथोक्त।

*Chandra Shekhar*  
(चन्द्रशेखर) 30.1.17

विशेष पदाधिकारी (या०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

*Krishna Chandra Thakur*  
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

श्याम

ज्ञाप संख्या-9/निधि-गै0यो0-(म0 एवं उप0)01-01/2016-आर0ओ0ए0 15157A पटना, दिनांक - 31.1.17

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / सचिव कोषांग, प0नि0वि0 पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0को0), प0नि0वि0 पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित अधीक्षण अभियंता / मुख्य अभियंता (यातायात), दक्षिण बिहार उपभाग, प0नि0वि0, पटना/ मुख्य अभियंता, रा0उ0प0 उपभाग, प0 नि0 वि0, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), प0नि0वि0, पटना / प्रधान सचिव के आप्त सचिव, प0नि0वि0 पटना/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, प0नि0वि0, पटना/ विशेष पदाधिकारी (यातायात) प0नि0वि0, पटना / सहायक अभियंता (अ0र0), प0 नि0 वि0, पटना / अधीक्षण अभियंता (अनु0), प0नि0 वि0, पटना को (फैक्स एवं ई-मेल हेतु) / सहायक अभियंता, प्रभारी हेल्प लाईन, प0 नि0 वि0, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी- 9 (पाँच प्रति) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Chandra Shekhar  
(चन्द्रशेखर) 30.1.17

विशेष पदाधिकारी (या0),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Justice Chandra Shekhar  
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

### आवंटन विवरणी

ज्ञाप संख्या-9/निधि-गै0यो0-(म0 एवं उप0)01-01/2016-आर0ओ0ए0 15157A पटना, दिनांक - 31.1.17

क्रम सं0	कार्यालय / प्रमंडलों का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	उपर्युक्त शीर्ष के अंतर्गत पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति पत्रांक / दिनांक के आलोक में
1	2	3	4	5	6
1	मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	50,000	10,000	60,000	3662 / 30.12.16
2	अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	0	1,15,800	1,15,800	455 / 25.11.16
3	अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर।	0	1,00,000	1,00,000	1184 / 30.12.16
4	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, बारसोई।	0	2,99,500	2,99,500	490 / 17.12.16
कुल योग		50,000	5,25,300	5,75,300	

वर्तमान आवंटन शब्दों में (पाँच लाख पचीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र।

Chandra Shekhar  
(चन्द्रशेखर) 30.1.17

विशेष पदाधिकारी (या0),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Justice Chandra Shekhar  
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

श्याम